निर्वाचनों का संचालन नियम,1961 (कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप 21-ग

(नियम 64 देखिये)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

175—राजसमन्द विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान की विधान सभा के लिये निर्वाचन ।

निर्वाचनों का संचालन नियम,1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि:—

श्रीमती किरण माहेश्वरी

बजरंग निवास, राणा राजसिंह नगर,

100 फीट रोड़. राजसमन्द द्वारा प्रायोजित भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गये ।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये है ।

स्थान :बालकृष्ण विद्याभवन रा.उ.मा.वि. काकरोली (राजसमन्द)

दिनांक : 11/12/2018

(प्रवीण कुमार)

रिटर्निंग अधिकारी

175— राजसमन्द विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट राजसमन्द रिटानग सिंधकारी

> विकासमा निर्वाचन क्षेत्र राजसमन्द-1445 (उपराण्ड मनिस्ट्रेट राजसमन्द)

FORM 21C

[See rule 64]

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan (State/Union territory) from Rajsamand-175 Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Smt. Kiran Maheshwari (Name) Bajrang Niwas, Rana Rajsingh Nagar, 100 Feet Road, Rajsamand (Address) sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised / registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Rajsamand

Date: 11-12-2018

(PRAVEEN KUMAR)

Returning Officer

Assembly Constituency Rajsamand-175

रिटर्निंग अधिकारी

विद्यानस्था निर्वाचन सैत्र राजसमन्द-195 (उनदाण्ड मशिस्ट्रेट राजसमन्द)